

अनुलग्नक 6. bis – स्वदेशी लोगों की नीति रूपरेखा (IPPF)

1. ढांचे के सिद्धांत और उद्देश्य:

कुआली फंड-जीसीएफ (या वित्तपोषित गतिविधि) के लिए स्वदेशी लोगों की नीति, बाध्यकारी संधियों और स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (यूएनडीआरआईपी) सहित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समझौतों के अनुरूप होने का इरादा रखती है। संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र का अनुच्छेद 31 यह मानता है कि "स्वदेशी ज्ञान, संस्कृतियों और पारंपरिक प्रथाओं का सम्मान सतत और समतापूर्ण विकास और पर्यावरण के उचित प्रबंधन में योगदान देता है", जिसका कुआली फंड-जीसीएफ पूर्ण समर्थन करता है और जिसके लिए प्रतिबद्ध है।

कुआली फंड-जीसीएफ के लिए आईपीपीएफ का उद्देश्य परियोजनाओं (कुआली फंड-जीसीएफ के प्रत्यक्ष निवेशक) या उप-परियोजनाओं (परियोजनाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियां या कार्रवाई) पर लागू होने वाले सिद्धांतों, संगठनात्मक व्यवस्था और डिजाइन मानदंडों को स्पष्ट करना है, जो परियोजना कार्यान्वयन के दौरान तैयार किए जाने हैं, जब स्वदेशी लोग परियोजना क्षेत्र में मौजूद हो सकते हैं या उनका सामूहिक लगाव हो सकता है या कुआली फंड-जीसीएफ द्वारा वित्त पोषित पहलों से अप्रत्यक्ष रूप से, सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। वित्त पोषित गतिविधि में वित्तीय सेवा प्रदाताओं (एफएसपी) और अभिनव कंपनियों (आईसी) और परियोजनाओं या उप-परियोजनाओं की पहचान करने और एक बार पुष्टि हो जाने के बाद कि स्वदेशी लोग परियोजना क्षेत्र में मौजूद हैं या उनका सामूहिक लगाव है, या कुआली फंड-जीसीएफ द्वारा वित्त पोषित पहलों से अप्रत्यक्ष रूप से, सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, संभावित जोखिमों और प्रभावों के अनुपात में एक विशिष्ट स्वदेशी लोगों की योजना (आईपीपी) विकसित की जानी चाहिए।

इस ढांचे का उद्देश्य है:

- स्वदेशी लोगों से संबंधित सुरक्षा उपायों और आवश्यकताओं का वर्णन करें और उनका अनुपालन सुनिश्चित करें।
- परियोजनाओं के प्रभावों (सकारात्मक और नकारात्मक) का प्रबंधन करना तथा संभावित विकास लाभों की पहचान करना।
- निधि से संभावित रूप से प्रभावित आईपी के भूमि अधिकारों या हकों की रक्षा करना और उन्हें स्थापित करना।
- स्वदेशी लोगों के साथ उचित मुआवजा उपायों पर चर्चा करने और उन्हें दस्तावेजित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करें।
- स्वदेशी लोगों के लिए निष्पक्ष, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त प्रक्रिया की गारंटी देने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करना।¹
- आईपीपी के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करना तथा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई करना।
- स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के ढांचे में सतत सार्थक परामर्श सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की स्थापना और डिजाइन का मार्गदर्शन करना।

ढांचे के मुख्य सिद्धांत हैं:

- फंड की पहल से की गई गतिविधियों से स्वदेशी लोगों के समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- जब यह संभव न हो तो प्रभावित समुदायों को खोई हुई सम्पत्तियों के लिए पूर्ण एवं उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, ऐसी शर्तों पर जो स्वदेशी लोग अधिक उपयुक्त समझें।
- प्रभावित सभी स्वदेशी लोगों के समुदायों से स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के सिद्धांत के अनुरूप प्रक्रिया में परामर्श किया जाना चाहिए और सभी चरणों में परियोजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिकूल प्रभावों के शमन के साथ-साथ लाभ भी उचित और टिकाऊ हों।

¹"स्वदेशी लोगों के लिए निष्पक्ष प्रक्रियाएँ" का तात्पर्य स्वदेशी समुदायों पर लागू निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रक्रियाओं से है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि इन समुदायों को प्रभावित करने वाली प्रथाएँ और निर्णय पारदर्शी, समावेशी और उनके अधिकारों, प्रथागत कानूनों और पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करते हुए लागू किए जाएँ। यह दृष्टिकोण स्वदेशी लोगों के साथ भेदभाव, शोषण और हाशिए पर जाने को रोकने का प्रयास करता है, इसके बजाय सक्रिय भागीदारी, सांस्कृतिक विविधता के प्रति सम्मान, और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं में उनके दृष्टिकोण और आवश्यकताओं पर उचित विचार को बढ़ावा देता है।

इन निवेशकर्ताओं (एफएसपी और आईसी) को, जिनका स्वदेशी समुदायों पर कोई प्रभाव पड़ सकता है, परियोजना के डिज़ाइन चरण से लेकर अंतिम चरण तक एक आईपीपी (अंतर्राष्ट्रीय परियोजना परियोजना) तैयार करनी होगी। संभावित प्रभावों और जोखिमों पर स्वदेशी लोगों के साथ सार्थक परामर्श के माध्यम से विचार-विमर्श और सहमति बनाई जानी चाहिए। आईपीपी (अंतर्राष्ट्रीय परियोजना परियोजना) का विस्तृत और व्यापक स्तर संभावित प्रभावों और जोखिमों के महत्व के अनुरूप होना चाहिए। ढाँचे के मूलभूत पहलू आईपीपी (अंतर्राष्ट्रीय परियोजना परियोजना) की तैयारी का मार्गदर्शन करेंगे।

2. सुरक्षा उपाय और आवश्यकताएँ

प्रत्येक परियोजना के लिए स्वदेशी लोगों से संबंधित निम्नलिखित सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे।

- लागू कानून के तहत मान्यता प्राप्त स्वदेशी लोगों के मानवाधिकारों के लिए पूर्ण सम्मान को मान्यता देना और बढ़ावा देना, जिसमें यूएनडीआरआईपी और अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानक, आत्मनिर्णय के उनके अधिकार, उनकी भूमि, संसाधन और क्षेत्र, पारंपरिक आजीविका और संस्कृतियां शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वदेशी लोगों को प्रभावित करने वाली परियोजनाएं उनके साथ साझेदारी की भावना से तथा परियोजना के सभी चरणों में सतत सार्थक परामर्श के ढाँचे में तैयार की जाएं, जिसमें उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी हो, तथा उनका उद्देश्य उनकी स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति प्राप्त करना हो, जिसमें उनके अधिकार, भूमि, क्षेत्र, पारंपरिक आजीविकाएं भी शामिल हों जो प्रभावित हो सकती हैं।
- स्वदेशी लोगों की आवश्यकताएं ?
- आईपीपी संभावित परियोजना प्रभाव के अंतर्गत आने वाले सभी स्वदेशी समुदायों की पहचान करेगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं, चाहे प्रभाव नकारात्मक हो या सकारात्मक।
- आईपीपी स्वदेशी लोगों के उन भूमि, संसाधनों और क्षेत्रों के स्वामित्व, उपयोग, विकास और नियंत्रण के सामूहिक अधिकारों को मान्यता देगा और उनका सम्मान करेगा, जिन पर उनका पारंपरिक रूप से स्वामित्व रहा है, जिन पर वे कब्जा करते रहे हैं या अन्यथा उपयोग या अधिग्रहण करते रहे हैं, जिनमें वे भूमि और क्षेत्र भी शामिल हैं, जिन पर अभी तक उनका अधिकार नहीं है।
- आईपीपी स्वदेशी लोगों की सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक और आध्यात्मिक संपत्ति का सम्मान करेगा, उसकी रक्षा करेगा, उसका संरक्षण करेगा तथा उनकी स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (एफपीआईसी) के बिना उसे नहीं लेगा।
- आईपीपी यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना द्वारा भूमि और भू-भागों पर प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और/या व्यावसायिक विकास, या उनके पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों का समान बंटवारा स्वदेशी लोगों को मिले। यह सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और समावेशी तरीके से किया जाएगा और इससे भूमि अधिकारों या स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छ जल, ऊर्जा, शिक्षा, सुरक्षित और सभ्य कार्य स्थितियों और आवास सहित बुनियादी सेवाओं तक समान पहुँच में बाधा नहीं आएगी।

²इस नीति में, जीसीएफ स्वदेशी लोगों की नीति के अनुसार स्वदेशी लोगों शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में एक विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक समूह को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जिसमें अलग-अलग डिग्री में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं: (ए) एक विशिष्ट स्वदेशी सामाजिक और सांस्कृतिक समूह के सदस्यों के रूप में आत्म-पहचान और दूसरों द्वारा इस पहचान को मान्यता; (बी) भौगोलिक रूप से अलग आवासों, पैतृक क्षेत्रों, या मौसमी उपयोग या व्यवसाय के क्षेत्रों के साथ-साथ इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के लिए सामूहिक लगाव; (सी) प्रथागत सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, या राजनीतिक व्यवस्था जो मुख्यधारा के समाज या संस्कृति से अलग या पृथक हैं; और (डी) एक अलग भाषा या बोली, जो अक्सर उस देश या क्षेत्र की आधिकारिक भाषा या भाषाओं से अलग होती है जिसमें वे रहते हैं। इसमें एक ऐसी भाषा या बोली शामिल है जो अस्तित्व में थी, लेकिन अब उन प्रभावों के कारण मौजूद नहीं है,

इस नीति का अनुप्रयोग किसी राज्य द्वारा मूल निवासियों को कानूनी मान्यता या पहचान न दिए जाने तक सीमित नहीं होगा। यह मूल निवासियों की भूमि, संसाधनों और क्षेत्रों के स्वामित्व की कानूनी स्थिति तक भी सीमित नहीं होगा।

कृपया अधिक जानकारी के लिए GCF स्वदेशी लोगों की नीति देखें: <https://www.greencli-mate.fund/document/indigenous-peoples-policy>

- विशेषज्ञ हितधारकों की राय और सिफारिशें मांगी जाएंगी और उन्हें परियोजना डिजाइन में शामिल किया जाएगा।

3. आईपीपी तैयारी और अनुमोदन की प्रक्रिया

स्वदेशी समुदायों से जुड़ी सभी परियोजनाओं के लिए एक आईपीपी आवश्यक होगा, जहाँ प्रभावों की पहचान की गई हो, चाहे वे प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष, नकारात्मक हों या सकारात्मक। कार्य योजना परियोजना की तैयारी के दौरान विकसित की जाती है। परियोजना के प्रभाव का पूर्ण आकलन करने के लिए, उपयुक्त योग्यता और अनुभव वाली एक तकनीकी टीम आईपीपी पर काम करेगी। अंतिम आईपीपी को अनुमोदन के लिए मान्यता प्राप्त संस्था को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

जीसीएफ स्वदेशी लोगों की नीति के अनुसार, निवेशकर्ताओं से अनुरोधित आईपीपी में निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए:

- आधारभूत जानकारी (स्वतंत्र एवं सहभागी पर्यावरणीय एवं सामाजिक जोखिम एवं प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियाओं से);
- प्रभावों, जोखिमों और अवसरों के प्रमुख निष्कर्ष और विश्लेषण;
- नकारात्मक प्रभावों से बचने, उन्हें न्यूनतम करने और कम करने तथा सकारात्मक प्रभावों और अवसरों को बढ़ाने के उपाय;
- समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन;
- परामर्श के परिणाम (पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम और प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियाओं के दौरान), जिसमें भाग लेने वाले लोगों और संगठनों की सूची, एक समय सारिणी, प्रत्येक गतिविधि के लिए कौन जिम्मेदार था, स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति, और भविष्य की भागीदारी योजनाएं शामिल हैं;
- लिंग मूल्यांकन और कार्य योजनाएँ;
- लाभ साझाकरण योजनाएँ;
- कार्यकाल व्यवस्था;
- शिकायत निवारण तंत्र;
- लागत, बजट, समय-सारिणी, संगठनात्मक जिम्मेदारियाँ; और (ट) निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग।

4. राष्ट्रीय कानूनी ढाँचों पर विचार

कुआली फंड-जीसीएफ, स्वदेशी लोगों से संबंधित लागू अंतरराष्ट्रीय मानकों (यूएनडीआरआईपी और आईएलओ 169 सहित) का पूर्ण समर्थन करता है, जिसका अर्थ है कि स्वदेशी लोगों के अधिकारों को मान्यता दी जाती है, जिसमें उनके आत्मनिर्णय, भूमि, संसाधन और भू-भाग, पारंपरिक आजीविका और संस्कृतियाँ शामिल हैं। साथ ही, किसी परियोजना से जुड़े स्वदेशी लोगों से संबंधित सभी कानूनों, आदेशों, नीतियों और विनियमों पर विचार किया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, आईपीपी में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- परियोजना पर लागू होने वाले अंतरराष्ट्रीय ढाँचे, राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों और विनियमों का विवरण तथा स्थानीय कानूनों और नीतिगत आवश्यकताओं के बीच अंतराल की पहचान करना; तथा चर्चा करना कि किसी भी अंतराल को कैसे दूर किया जाएगा।
- स्वदेशी लोगों पर लागू होने वाली कानूनी और नीतिगत प्रतिबद्धताओं का विवरण।

5. स्वदेशी लोगों के संबंध में परामर्श, निःशुल्क पूर्व और सूचित सहमति और हितधारक सहभागिता

प्रभावी आईपीपी के लिए प्रक्रिया की शुरुआत से ही संबंधित हितधारकों और प्रभावित समूहों के वैध प्रतिनिधियों के साथ परामर्श आवश्यक है। प्रारंभिक परामर्श परियोजना के प्रभाव और उसके अपेक्षित लाभों के संबंध में अपेक्षाओं को प्रबंधित करने में मदद करता है। परियोजना के सभी चरणों के दौरान निरंतर परामर्श, प्रायोजक और परियोजना से प्रभावित लोगों के प्रतिनिधियों को संभावित पहलों पर बातचीत करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

कुआली फंड-जीसीएफ यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि उसके द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को स्वदेशी समुदाय के साथ निरंतर सार्थक परामर्श के माध्यम से गिना जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे इसके संभावित प्रभावों पर सहमति दें। प्रभावित स्वदेशी लोगों के साथ परियोजना परामर्श अनिवार्य है। इन परामर्शों का

उद्देश्य परियोजना कार्यान्वयन से प्रभावित सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना होना चाहिए, विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में:

- परियोजना डिजाइन.
- परियोजना हितधारकों, विशेषकर प्राथमिक हितधारकों की पहचान।
- परियोजना के प्रभावों का आकलन।
- विकास के अवसर और पहल।
- शिकायतों के निवारण और विवादों को सुलझाने के लिए प्रक्रियाओं का विकास।
- निगरानी एवं मूल्यांकन तथा सुधारात्मक कार्रवाई के कार्यान्वयन के लिए तंत्र।

परामर्श प्रक्रिया और प्रकटीकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों के दौरान उपयोग किए जाने वाले परामर्श और भागीदारी तंत्र का विवरण।
- समुदायों पर परियोजना के प्रभाव को कम करने के लिए की गई गतिविधियों का विवरण।
- प्रभावित स्वदेशी समुदायों के साथ परामर्श के परिणामों का सारांश, तथा इस बात पर चर्चा कि आईपीपी में किस प्रकार चिंताएं व्यक्त की गईं तथा सिफारिशों की गईं।
- प्रभावित स्वदेशी लोगों के लिए आईपीपी के मसौदे के प्रकटीकरण की पुष्टि तथा किसी भी अनुवर्ती योजना का खुलासा करने की व्यवस्था को शामिल करना।
- नियोजित सूचना प्रकटीकरण उपायों का विवरण (प्रसारित की जाने वाली सूचना का प्रकार और प्रसार की विधि सहित) तथा परियोजना कार्यान्वयन के दौरान प्रभावित व्यक्तियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया।

6. स्वदेशी समुदायों का संरक्षण

स्वदेशी समुदायों की स्थानीय संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ शुरू की जाएंगी:

- यदि स्वदेशी लोग परामर्श के ढांचे के माध्यम से इसे उचित समझते हैं, तो टिकाऊ कृषि तकनीकी कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जो विशेष रूप से स्वदेशी लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुकूल होंगी।
- परामर्श के माध्यम से इसे उचित समझते हैं, तो क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ आयोजित की जाएंगी। इनके पीछे का उद्देश्य स्थानीय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना है ताकि अधिक संगठित और लचीले स्थानीय स्वदेशी समुदाय विकसित हो सकें।
- यदि परियोजना किसी भी समय स्थानीय समुदायों के ज्ञान या प्रथाओं सहित सांस्कृतिक विरासत का उपयोग करने का निर्णय लेती है, तो उनका एफपीआईसी प्राप्त किया जाएगा।
- प्रथागत या पारंपरिक भूमि स्वामित्व व्यवस्था को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से स्थानीय कानून को मजबूत बनाने में मदद के लिए सक्रिय कदम उठाए जाएंगे।

7. परियोजना के प्रभाव को दूर करने के उपाय

परियोजना के प्रभाव से निपटने के लिए जिन उपायों का उपयोग किया जाएगा, उन पर इससे प्रभावित होने वाले मूल निवासियों के साथ सहमति होनी चाहिए और वे जोखिम के स्तर के अनुपात में होने चाहिए। जोखिम के प्रभाव की प्रकृति और आकार का आकलन समुदाय के साथ मिलकर एक सार्थक परामर्श के ढांचे में किया जाएगा।

यदि प्रारंभिक सामाजिक मूल्यांकन और प्रभावित समुदायों के साथ सार्थक परामर्श प्रक्रिया से नकारात्मक प्रभाव सामने आते हैं, तो कार्यकारी इकाई जोखिमों का वर्णन करेगी, स्वदेशी लोगों के साथ प्रकृति और स्तर का आकलन करेगी।

इसमें शामिल जोखिमों का आकलन करने के बाद, कार्यकारी इकाई, इसमें शामिल स्वदेशी लोगों के साथ मिलकर, आर्थिक विस्थापन सहित पुनर्वास से बचने के लिए शमन पदानुक्रम दृष्टिकोण अपनाने के उपाय खोजने का प्रयास करेगी, तथा पहचाने गए प्रभावों को न्यूनतम करेगी, कम करेगी या क्षतिपूर्ति करेगी।

प्राकृतिक संसाधनों तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करना, समकक्ष प्रतिस्थापन संसाधनों की पहचान करना, या, अंतिम विकल्प के रूप में, मुआवजा प्रदान करना और वैकल्पिक आजीविका की पहचान करना, यदि परियोजना विकास के परिणामस्वरूप परियोजना भूमि अधिग्रहण से स्वतंत्र प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच या उनकी हानि होती है।

केवल तभी जब स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति प्रक्रियाओं का परिणाम यह हो कि परियोजना से प्रभावित प्रभावित स्वदेशी लोग उपायों और प्रदान किए जाने वाले मुआवजे पर सहमत हों, तभी अगले खंड में बताई गई मुआवजे की प्रक्रियाओं को लागू किया जा सकता है।

8. परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के तरीके और संभावित मुआवजा कैसे दिया जाएगा

जैसा कि कुआली फंड-जीसीएफ के ईएसएमएस में कहा गया है, वित्त पोषित गतिविधि के निवेश सामान्यतः सी (आई-3) श्रेणी (कम जोखिम) और कभी-कभी बी (आई-2) श्रेणी (मध्यम जोखिम) में आते हैं। ए(आई-1) श्रेणी में आने वाले संभावित निवेशों को प्रारंभिक व्यावसायिक चरण में ही अलग कर दिया जाएगा और आगे के विश्लेषण और निवेश के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, परियोजना के ईएसएमएस में विकसित बहिष्करण सूची के अनुसार, अनैच्छिक पुनर्वास को वित्त पोषित गतिविधि में शामिल नहीं किया जाएगा। कुआली फंड प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश में भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास (भौतिक या आर्थिक) शामिल न हो।

ऐसे मामलों में जहां परिहार संभव नहीं है, वहां समुदायों की आजीविका के नुकसान की भरपाई के लिए उचित और पर्याप्त तरीका विकसित करके स्वदेशी लोगों पर पड़ने वाले प्रतिकूल सामाजिक और/या आर्थिक प्रभावों को कम किया जाना चाहिए।

मुआवजे के लिए, मेज़बान सरकार द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानकों और दिशानिर्देशों पर विचार किया जाएगा। स्थापित दिशानिर्देशों के अभाव में, निवेशकों द्वारा नुकसान का आकलन करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति पर परामर्श के दौरान समुदायों के साथ सहमति होनी चाहिए और इसका वर्णन आईपीपी में किया जाना चाहिए। यह प्रस्तावित प्रकार और भुगतान किए जाने वाले मुआवजे के स्तरों के साथ-साथ मुआवजे और सहायता के पात्रता मानदंडों पर भी लागू होता है और मुआवजा कैसे और कब दिया जाएगा, इसकी व्याख्या की जानी चाहिए।

सामान्य तौर पर, मुआवजा समुदायों के साथ परामर्श और स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के ढांचे में निर्धारित किया जाता है और इसकी गणना पूर्ण प्रतिस्थापन लागतों के आधार पर की जानी चाहिए। यह विधि बाजार मूल्य और लेनदेन लागतों का उपयोग करके खोई हुई संपत्तियों या संपत्तियों तक खोई हुई पहुंच को बदलने के लिए आवश्यक राशि के आधार पर मुआवजे की राशि निर्धारित करती है। यदि नुकसान का मूल्यांकन प्रतिस्थापन लागत के माध्यम से नहीं किया जा सकता है (उदाहरण के लिए, 'भूमि बाजार' के बिना क्षेत्रों में पारंपरिक फसल भूमि, सार्वजनिक सेवाओं, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं तक पहुंच या मछली पकड़ने, चराई या वन क्षेत्रों जैसी संपत्तियों तक पहुंच) तो उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के आधार पर समुदायों के साथ परामर्श के ढांचे में नुकसान का अनुमान लगाया जाएगा। सभी नुकसानों को मुआवजे के लिए वैध माना जाना चाहिए,

संबंधित हितधारकों और प्रभावित समूहों के वैध प्रतिनिधियों के परामर्श से मुआवजा तंत्र विकसित किया जाना चाहिए और इसे सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त बनाया जाना चाहिए। आईपीपी को भी मुआवजा प्रदान करने की एक विधि स्थापित करनी चाहिए, जिसमें वस्तुगत, गैर-मौद्रिक और मौद्रिक मुआवजे (नकद भुगतान) के विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए। जिन प्रभावित परिवारों की आजीविका भूमि या निर्वाह-आधारित है, उनके लिए भूमि-आधारित मुआवजा दृष्टिकोणों (जैसे, वैकल्पिक भूमि की पेशकश या कम से कम समान मूल्य के संसाधनों तक पहुंच) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वस्तुगत मुआवजे के रूपों में सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त वैकल्पिक आजीविका या आय-अर्जन के अवसरों के साथ समुदायों का समर्थन करना शामिल हो सकता है।

एफपीआईसी की मांग करने वाले चल रहे सार्थक परामर्श के ढांचे में, मूल्यांकन और मुआवजा दरों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिद्धांतों और तरीकों की रूपरेखा तैयार करें, यदि वे अन्य उपायों के समाप्त होने के बाद मुआवजे के लिए एक स्वतंत्र पूर्व और सूचित सहमति के ढांचे में सहमत हुए हैं, जिस पर परियोजना से प्रभावित स्वदेशी लोगों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है; और मुआवजे और सहायता पात्रता मानदंड निर्धारित करें और मुआवजा और सहायता कैसे और कब प्रदान की जाएगी।

चूंकि श्रेणी बी परियोजनाओं के अंतर्गत अनैच्छिक पुनर्वास की अनुमति नहीं है, इसलिए एफपीआईसी प्रक्रियाओं को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार सावधानीपूर्वक परिभाषित किया जाना चाहिए:

- . प्रभावित समुदायों के साथ सार्थक परामर्श प्रक्रियाओं के बाद।
- i. आर्थिक विस्थापन सहित पुनर्वास से बचने के उपाय खोजने का प्रयास करने के बाद।

- ii. फिर, एफपीआईसी प्रक्रियाओं के बाद, परिणाम यह होता है कि प्रभावित समुदाय उपायों और मुआवजे के लिए सहमत हो जाते हैं।
- iii. क्या निम्नलिखित प्रक्रियाएं कार्यान्वित की जा सकती हैं ?

9. आर्थिक विस्थापन के लिए प्रावधान

यदि किसी परियोजना के कारण आय या आजीविका की हानि होती है, उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की रोजगार या उत्पादक परिसंपत्तियों, पारंपरिक प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रों या भूमि तक पहुंच में बाधा या उन्मूलन, चाहे प्रभावित लोग शारीरिक रूप से विस्थापित हों या नहीं, तो परियोजना डेवलपर स्वदेशी लोगों के साथ सहमत एक स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति प्रक्रिया अपनाएगा:

- आर्थिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को उनकी संपत्ति या संपत्ति तक पहुँच के नुकसान के लिए पूर्ण प्रतिस्थापन लागत पर तुरंत मुआवजा दिया जाएगा। जहाँ सरकारी नीति या कार्यप्रणाली के कारण तुरंत मुआवजा भुगतान संभव न हो, वहाँ परियोजना विकासकर्ता को विस्थापित लोगों की अस्थायी आय हानि में सहायता के लिए पुनर्वास सहायता के विकल्प तलाशने होंगे।
- उन मामलों में, जहाँ भूमि अधिग्रहण से वाणिज्यिक संरचनाएं प्रभावित होती हैं, प्रभावित व्यवसाय स्वामी को (i) अन्यत्र वाणिज्यिक गतिविधियों को पुनः स्थापित करने की लागत, (ii) संक्रमण की अवधि के दौरान खोई हुई शुद्ध आय, तथा (iii) संयंत्र, मशीनरी या अन्य उपकरणों के स्थानांतरण और पुनः स्थापित करने की लागत, जैसा भी लागू हो, के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
- राष्ट्रीय कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त या मान्यता योग्य भूमि पर कानूनी अधिकार या दावा रखने वाले व्यक्तियों को समान या अधिक मूल्य की प्रतिस्थापन संपत्ति (उदाहरण के लिए, कृषि या वाणिज्यिक स्थल) प्रदान करना, या जहाँ उपयुक्त हो, पूर्ण प्रतिस्थापन लागत पर नकद मुआवजा प्रदान करना।
- ऐसी सहायता प्रदान करें जो समुदाय के साझा संसाधनों के किसी भी नुकसान की भरपाई कर सके। यह उन पहलों के रूप में हो सकता है जो समुदाय की पहुँच वाले शेष संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाएँ, पहुँच के नुकसान के लिए वस्तु या नकद मुआवजा प्रदान करें, या खोए हुए संसाधन के वैकल्पिक स्रोतों तक पहुँच का प्रावधान करें।
- आर्थिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को, जिनके पास ज़मीन पर कानूनी रूप से मान्य दावे नहीं हैं, ज़मीन के अलावा अन्य खोई हुई संपत्तियों (जैसे फ़सलें, सिंचाई का बुनियादी ढाँचा और ज़मीन पर किए गए अन्य सुधार) के लिए पूरी प्रतिस्थापन लागत पर मुआवजा दें। परियोजना विकासकर्ता को उन अवसरवादी बसने वालों को मुआवजा देने या सहायता करने की आवश्यकता नहीं है जो निर्धारित तिथि के बाद परियोजना क्षेत्र पर अतिक्रमण करते हैं।
- आर्थिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों, जिनकी आजीविका या आय का स्तर प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है, को अतिरिक्त लक्षित सहायता (उदाहरण के लिए, ऋण सुविधाएँ, प्रशिक्षण, या रोज़गार के अवसर) और उनकी आय-अर्जन क्षमता, उत्पादन स्तर और जीवन स्तर को सुधारने या कम से कम बहाल करने के अवसर प्रदान करें। परियोजना-संबंधी विस्थापन के कारण व्यवसायों के बंद होने या बंद होने की स्थिति में, व्यवसाय के स्वामी और वेतन या रोज़गार खोने वाले कर्मचारी, दोनों ही ऐसी सहायता के पात्र हैं।
- आर्थिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को, आवश्यकतानुसार, उनकी आय अर्जन क्षमता, उत्पादन स्तर और जीवन स्तर को बहाल करने के लिए आवश्यक समय के उचित अनुमान के आधार पर, संक्रमणकालीन सहायता प्रदान करना।

10. भूमि अधिकार वितरण के लिए संगठनात्मक प्रक्रियाएं

आईपीपी प्रभावित लोगों या समुदायों के भूमि अधिकारों को स्थापित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे संपत्ति अधिकारों की कानूनी मान्यता पारदर्शी हो, और राज्य के लागू कानून और दायित्वों के अनुरूप हो, जो संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों, रीति-रिवाजों, परंपराओं और स्वदेशी लोगों की भूमि स्वामित्व प्रणालियों के अंतर्गत

गतिविधियों पर सीधे लागू हों, और स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (मान्यता प्राप्त संस्था सहित) के सिद्धांत द्वारा निर्देशित हों। आईपीपी को भूमि अधिकारों के निर्धारण, पुरस्कार और वितरण की प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण करना चाहिए।

मेज़बान सरकारें किसी परियोजना से जुड़े भूमि अधिग्रहण, मुआवज़े के भुगतान और पुनर्वास के प्रबंधन का अधिकार सुरक्षित रख सकती हैं। इसके बाद, आईपीपी को पुनर्वास ढाँचे और पुनर्वास कार्य योजना के अनुसार पुनर्वास को लागू करने के लिए सरकार से एक औपचारिक समझौता शामिल करना होगा।

प्रभावित लोगों की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति प्राप्त करने के बाद, यदि IPP प्रभावित लोगों के पुनर्वास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी लेता है, तो वह सामान्यतः परियोजना के समग्र प्रबंधन ढाँचे के भीतर एक पुनर्वास इकाई स्थापित करेगा जो सभी पुनर्वास गतिविधियों के व्यावहारिक दैनिक कार्यान्वयन का समन्वय, प्रबंधन और निगरानी करेगी। इस इकाई का प्रमुख पुनर्वास से संबंधित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार सभी परियोजना कर्मचारियों के साथ-साथ पुनर्वास सेवाओं, जैसे सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों का कार्यान्वयन, पुनर्वास आवासों का निर्माण, विकास पहलों को बढ़ावा देना, या कार्यान्वयन की निगरानी, के लिए जिम्मेदार सभी ठेकेदारों या गैर-सरकारी संगठनों का पर्यवेक्षण करता है।

11. पुनर्वास की कार्यान्वयन प्रक्रिया

परियोजना से प्रभावित मूल निवासियों के साथ एक स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति प्रक्रिया में वैकल्पिक उपायों पर विचार-विमर्श के बाद, जब किसी परियोजना में लोगों का स्वेच्छिक शारीरिक या आर्थिक विस्थापन शामिल होता है, तो पुनर्वास कार्य योजना उस परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और कार्य योजना का एक अनिवार्य घटक बन जाती है। इसी प्रकार, ऐसी गतिविधियाँ जिनमें शारीरिक विस्थापन (अर्थात् पुनर्वास, जिसमें आश्रय के नुकसान के परिणामस्वरूप आवश्यक पुनर्वास भी शामिल है), चाहे पूर्ण या आंशिक और स्थायी या अस्थायी, या आर्थिक और व्यावसायिक विस्थापन (अर्थात् संपत्ति या संपत्ति तक पहुँच का नुकसान जिसके परिणामस्वरूप आय के स्रोत या आजीविका के साधन समाप्त हो जाते हैं) शामिल हों, से बचा जाएगा।

आईपीपी को लागू पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा नीतियों को पूरा करने के लिए कार्यों का एक क्रम शामिल करना होगा। परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान निवेशकों के साथ परामर्श के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को नियुक्त किया जा सकता है: पूर्व-व्यवहार्यता, व्यवहार्यता, तकनीकी डिज़ाइन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन। आईपीपी को पुनर्वास कार्यान्वयन योजना और परियोजना की कार्य योजना के साथ संबंधों का विस्तृत विवरण देना होगा। कार्यान्वयन व्यवस्थाओं में शामिल हैं:

- पुनर्वास प्रक्रिया से संबंधित वर्तमान संस्थागत व्यवस्था, ताकत और कमजोरियाँ।
- पुनर्वास प्रक्रिया में भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ तथा मुआवज़े और आजीविका बहाली और संवर्द्धन के लिए सहमत उपायों को लागू करना।
- मुआवज़ा भुगतान की अनुसूची और जिम्मेदारियाँ, तथा भुगतान को प्रभावी बनाने, प्राप्त करने, दस्तावेजीकरण करने, सत्यापित करने और लेखापरीक्षा करने के तरीके।
- परियोजना समय सीमा से परे स्थिरता और कार्यान्वयन की व्यवस्था।

निवेशकर्ता नियमित आधार पर आईपीपी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आवश्यक प्रणालियाँ (अर्थात् संसाधन, कर्मचारी और प्रक्रियाएँ) स्थापित करेंगे और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे। निगरानी गतिविधियों के भाग के रूप में प्रभावित व्यक्तियों से परामर्श किया जाएगा। योजना का कार्यान्वयन और प्रभावशीलता योग्य विशेषज्ञों और/या अन्य स्वतंत्र तृतीय पक्षों द्वारा निगरानी और समीक्षा के अधीन होगी, जो उपयुक्त और शामिल पैमाने और जोखिमों के अनुरूप हों। आईपीपी का कार्यान्वयन तब पूरा माना जाएगा जब परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों का समाधान आईपीपी के अनुरूप तरीके से किया गया हो।

स्वदेशी लोगों का पुनर्वास जीसीएफ स्वदेशी लोगों की नीति के पैराग्राफ 7.2.2 के अनुरूप होगा।

12. शिकायत निवारण तंत्र

परियोजना का मूल निवासियों पर प्रभाव शिकायतों को जन्म दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि स्वेच्छिक पुनर्वास किया जाता है, तो इससे प्रभावित आबादी के बीच मुआवज़े की दरों और पात्रता मानदंडों से लेकर पुनर्वास स्थलों के स्थान और उन स्थलों पर सेवाओं की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर अनिवार्य रूप से शिकायतें उत्पन्न होंगी। पुनर्वास के संतोषजनक कार्यान्वयन और परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए ऐसी शिकायतों का समय पर निवारण अत्यंत आवश्यक है।

यदि कुआली फंड-जीसीएफ का स्वदेशी समुदायों पर कोई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो प्रभावित या संभावित रूप से प्रभावित होने वाले स्वदेशी समुदायों के परामर्श से यथाशीघ्र एक शिकायत निवारण तंत्र तैयार किया जाएगा और एक सुलभ, निष्पक्ष, पारदर्शी और रचनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा ताकि प्रभावित स्वदेशी लोगों को बिना किसी लागत के शिकायत या दावा (प्रथागत कानून और प्रथा से उत्पन्न दावों सहित) दर्ज करने की सुविधा प्रदान की जा सके और उस शिकायत या दावे का समय पर और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, परियोजना विकासकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं और कमजोर समूहों के सदस्यों को शिकायत निवारण प्रक्रियाओं तक समान पहुँच प्राप्त हो।

निवेशकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिकायत निवारण प्रक्रियाएँ लागू हों और शिकायतों का उचित तरीके से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए उन प्रक्रियाओं की निगरानी करनी होगी। आईपीपी को उस शिकायत निवारण ढाँचे का वर्णन करना चाहिए जो मेजबान सरकार या परियोजना प्रायोजक द्वारा लागू किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

- विभिन्न तरीकों से स्वदेशी लोग अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं, तथा भाषा संबंधी बाधाओं/सीमाओं को ध्यान में रखते हुए तथा यदि शिकायतकर्ता को किसी अधिकृत प्रतिनिधि या नागरिक समाज संगठन द्वारा प्रतिशोध या प्रस्तुतिकरण का भय हो तो नाम न छापने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए।
- शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखने का प्रावधान, विशेषकर ऐसे मामलों में जहाँ शिकायतकर्ताओं को प्रतिशोध का भय हो।
- भाषा संबंधी बाधाओं/सीमाओं को दूर करने के लिए व्याख्या/अनुवाद का प्रावधान।
- एक लॉग जिसमें शिकायतें लिखित रूप में दर्ज की जाती हैं और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटाबेस के रूप में रखी जाती हैं। डेटाबेस में शिकायत और उसके समाधान से संबंधित जानकारी, प्रदान किए गए समाधान सहित, शामिल होनी चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि अनुरोध किए जाने पर शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जा सकती है। इस डेटाबेस को जीसीएफ के स्वतंत्र निवारण तंत्र के साथ भी साझा किया जाना चाहिए।
- सार्वजनिक रूप से विज्ञापित प्रक्रियाएं, शिकायत प्रस्तुत करने के तरीकों की पहचान, उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनी शिकायतों की पावती, प्रतिक्रिया और समाधान के लिए प्रतीक्षा करने की अपेक्षित अवधि का निर्धारण, प्रक्रियाओं की पारदर्शिता का विवरण, तथा शासी और निर्णय लेने वाली संरचनाएं।
- एक अपील प्रक्रिया जिसके अंतर्गत असंतुष्ट शिकायतों को तब संदर्भित किया जा सकता है जब शिकायत का समाधान नहीं हो पाया हो।
- जीसीएफ स्वतंत्र निवारण तंत्र और मान्यता प्राप्त एवं कार्यान्वयन संस्थाओं के शिकायत तंत्र सहित अन्य उपलब्ध शिकायत तंत्रों के बारे में जानकारी; और
- शिकायतकर्ताओं को प्रतिशोध से बचाने के लिए उपाय किए गए हैं।

आईपीपी के लिए कुआली फंड-जीसीएफ की शिकायत निवारण प्रणाली को जीसीएफ स्वदेशी जन नीति के पैराग्राफ 7.3 के अनुरूप बनाया जाएगा।

जीसीएफ का स्वतंत्र निवारण तंत्र और सचिवालय का स्वदेशी लोगों का केंद्रबिंदु किसी भी स्तर पर सहायता के लिए उपलब्ध रहेगा, जिसमें दावा किए जाने से पहले भी सहायता शामिल है।

13. वित्तपोषण व्यवस्था

यह आवश्यक है कि सभी लागतों का सावधानीपूर्वक अनुमान लगाया जाए और उन्हें एक विस्तृत आईपीपी बजट में शामिल किया जाए। चल रहे परामर्श तंत्र, भूमि अधिग्रहण, खोई हुई संपत्तियों के मुआवजे और भौतिक विस्थापन की लागतों के सटीक आकलन के बिना, परियोजना नियोजक परियोजना डिज़ाइन विकल्पों की वास्तविक लागत का निर्धारण नहीं कर सकते। प्रायोजक को पुनर्वास लागतों का श्रेणियों के अनुसार विवरण देना चाहिए।

परामर्श, मुआवज़ा, पुनर्वास और आजीविका पुनर्वास की सभी लागतों को बजट लागत माना जाएगा। आईपीपी में बजट के लिए धन के स्रोत का उल्लेख होना चाहिए। ऐसी स्थितियों में जहाँ मेज़बान सरकार मुआवज़े और पुनर्वास सहायता भत्तों के भुगतान की ज़िम्मेदारी लेती है, निवेशकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार सरकारी एजेंसी के साथ

³ यह तंत्र सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होगा तथा प्रभावित समुदायों के लिए बिना किसी लागत के आसानी से सुलभ होगा, तथा मुद्दों या चिंताओं को उठाने वाले व्यक्तियों, समूहों या समुदायों के प्रति कोई प्रतिशोध नहीं होगा।

सहयोग करना चाहिए कि भुगतान समय पर किया जाए। जहाँ निवेशकर्ता पुनर्वास निधि की पूरी ज़िम्मेदारी लेता है, उसे धन के समय पर वितरण के लिए अपनी व्यवस्था का विवरण देना होगा।

14. निगरानी और मूल्यांकन व्यवस्था

ऐसे मामलों में जहाँ कुआली फंड-जीसीएफ द्वारा वित्त पोषित किसी भी गतिविधि से आदिवासी लोग प्रभावित होते हैं, निवेशकर्ताओं को परामर्श के ढांचे में, आईपीपी कार्यान्वयन की प्रभावशीलता पर निगरानी और रिपोर्ट करना आवश्यक है, जिसमें पुनर्वास और पुनर्वास गतिविधियों की भौतिक प्रगति, मुआवजे का वितरण, जन परामर्श और भागीदारी गतिविधियों की प्रभावशीलता, और प्रभावित समुदायों के बीच आय बहाली और विकास प्रयासों की स्थिरता शामिल है। आईपीपी निगरानी और मूल्यांकन गतिविधियों को पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाना चाहिए, योग्य विशेषज्ञों द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिए, और समग्र परियोजना प्रबंधन प्रक्रिया में एकीकृत किया जाना चाहिए।

आईपीपी को एक सुसंगत निगरानी योजना प्रदान करनी होगी जिसमें संगठनात्मक ज़िम्मेदारियों, कार्यप्रणाली और निगरानी एवं रिपोर्टिंग की समय-सारिणी की पहचान हो। इसमें निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा:

- निगरानी और मूल्यांकन में हितधारकों की भागीदारी।
- आईपीपी के अंतर्गत सौंपी गई गतिविधियों (मूल्यांकन, जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम, प्रकटीकरण, प्रसार गतिविधियाँ) पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की स्थिति पर अनुवर्ती कार्रवाई।
- आजीविका बहाली की दक्षता की पहचान करने के लिए शिकायतों की प्रक्रिया का अनुवर्तन करना।
- मध्यावधि मूल्यांकन और अंतिम मूल्यांकन को लागू करने के लिए आवश्यक सभी डेटा का प्रावधान।

मूल निवासियों पर प्रभाव डालने वाले मामलों के लिए, निवेशक निगरानी रिपोर्ट तैयार करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आईपीपी के कार्यान्वयन से वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण अनैच्छिक प्रभावों वाली परियोजनाओं के लिए, वित्तीय निवेशक निगरानी जानकारी की पुष्टि के लिए योग्य और अनुभवी बाहरी विशेषज्ञों या योग्य गैर-सरकारी संगठनों को नियुक्त करेंगे। निवेशकों द्वारा नियुक्त बाहरी विशेषज्ञ सुरक्षा अनुपालन संबंधी मुद्दों पर सलाह देंगे, और यदि कोई महत्वपूर्ण अनैच्छिक पुनर्वास संबंधी समस्याएँ पाई जाती हैं, तो ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए एक सुधारात्मक कार्य योजना तैयार की जाएगी। निवेशक अर्ध-वार्षिक निगरानी रिपोर्ट तैयार करेंगे जिनमें गतिविधियों के कार्यान्वयन की प्रगति, अनुपालन संबंधी समस्याओं और सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण होगा। ये रिपोर्ट योजना अनुमोदन के समय सहमत आईपीपी निगरानी संकेतकों का बारीकी से पालन करेंगी।

एक समिति का गठन किया जाएगा जिसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी। स्वदेशी समुदाय के हितधारकों को इन बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके अधिकारों की रक्षा हो रही है और आईपीपी पर उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। समिति के सदस्यों को परियोजना के आयामों की पूरी जानकारी होनी चाहिए और उन्हें कार्यक्रम के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।

मूल्यांकन से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि नीतियों का अनुपालन किया गया है, साथ ही रणनीतिक दिशा-निर्देशों को समायोजित करने के लिए आवश्यक फीडबैक भी प्रदान किया जाना चाहिए।

इस दस्तावेज़ के किसी भी अनुवादित संस्करण और अंग्रेज़ी भाषा संस्करण के अर्थों के बीच किसी भी विसंगति की स्थिति में, इस अंग्रेज़ी भाषा संस्करण का अर्थ ही मान्य होगा।